

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 22 अप्रैल, 2025

संख्या 23/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 27 मार्च, 2025 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 164 में,-

(i) उपनियम (4) में, "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तिथि को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण राशि" शब्दों के स्थान पर, "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तिथि को या इससे पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से संबंधित कर की पूर्ण राशि और उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उपनियम (4) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

"व्याख्या.- उन मामलों में जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शास्ति के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संपूर्ण अवधि के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है।"

(iii) उपनियम 7 में, -

(क) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) प्रथम परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहाँ अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRA ORDINARY
DATED THE 22nd April, 2025

उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाय, अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी, उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के बाद, उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे ।

व्याख्या.— संदेह के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील का आवेदन, धारा 128क के उप-खंड (3) के प्रयोजनार्थ प्रथम जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 या उसके भाग की अवधि के लिए, उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया गया समझा जाएगा।”।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 22nd April, 2025

No. 23 /GST-2.- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 27th March, 2025.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 164, –
 - (i) in sub-rule (4), after the words “after payment of the full amount of tax”, the words “related to period mentioned in the said sub-section and” shall be inserted.
 - (ii) after sub-rule (4), the following Explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation.- No refund shall be available for any tax, interest, and penalty, which has already been discharged for the entire period, prior to the commencement of these rules, in cases where a notice or statement or order mentioned in sub-section (1) of section 128A, includes a demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for a period other than mentioned in the said sub-section.”;
 - (iii) in sub-rule 7.-
 - (a) in the proviso, for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
 - (b) after the first proviso, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that where the notice or statement or order mentioned in sub-section(1) of section 128A of the Act includes demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for the period other than that mentioned in the said sub-section, the applicant instead of withdrawing the appeal, shall intimate the appellate authority or Appellate Tribunal that he does not wish to pursue the appeal for the period mentioned

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRA ORDINARY
DATED THE 22nd April, 2025

in the said sub-section and the relevant authority shall, after taking note of the said request, pass such order for the period other than that mentioned in the said sub-section, as he thinks just and proper.

Explanation.— For the removal of doubt, it is clarified that the appeal application shall be deemed to have been withdrawn to the extent of the said intimation for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2020 or part thereof, for the purpose of sub-clause (3) of section 128A.”.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.